

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गाँधी नरेगा), शासन सचिवालय, जयपुर

दूरभाष 0141-2227956, Email- pdre_rdd@yahoo.com

क्रमांक: एफ 40(39)ग्रावि/नरेगा/GKN/2011

जयपुर, दिनांक:



04 MAR 2014

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (समस्त),
राजस्थान।

विषय: ग्रामीण कार्य निर्देशिका दर अनुसूची विभागीय सॉफ्टवेयर से तैयार करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्रामीण विकास के कार्यों का सम्पादन हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानानुसार पत्र दिनांक एफ 8(1) ग्राविवि/जीकेएन/2007 दिनांक 30.10.2007 के अनुसार एक्सल फॉर्मेट में दर अनुसूची तैयार की जा रही है। दर विश्लेषण अनुसूची में कुछ विसंगतियों के मध्यनजर विभाग द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानानुसार दर अनुसूची बनाने हेतु विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर (वेब एप्लीकेशन) तैयार किया गया है। जिसके माध्यम से संबंधित ब्लॉक स्तर पर सामान्य योजना व नरेगा के लिए दर अनुसूची (परि.-3(1)), दैनिक टास्क (परि.-14) एवं दर विश्लेषण तैयार किया जा सकेगा।

इस सम्बन्ध में माह जुलाई 2013 में जिलो के एमआईएस मैनेजर व अधिशाषी/सहायक अभियंता (अभि.) को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस सॉफ्टवेयर को अस्थाई रूप से ऑनलाईन कर दिया गया है। जिसका URL - <http://164.100.222.151/gknrdprptest> है। जिलेवार लॉगिन आईडी व पासवर्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

इस सॉफ्टवेयर में संबंधित पं.स. क्षेत्र में लागू सामग्री, श्रम एवं उपकरणों की आईटमवार मूल दर मय लागू होने की दिनांक का इन्द्राज/अपडेट कर दर अनुसूची आदि ट्रायल बेसिस पर तैयार कर प्रचालित की जावे। इसके संचालन एवं अन्य किसी भी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में अधीक्षण अभियंता, ईजीएस के ईमेल आईडी mmnregs@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रा.वि.

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा. विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि.।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस।
6. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
7. अधीक्षण अभियंता ग्रावि/ईजीएस।
8. अधिशाषी अभियंता (अभि./ईजीएस) जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
10. एमआईएस मैनेजर, ईजीएस जिला परिषद समस्त राजस्थान।

अति. मुख्य अभियंता, ग्रा.वि.